भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1190

जिसका उत्तर, 25 नवम्बर, 2019/4 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

ई-कॉमर्स भुगतान प्रणाली

1190. सुश्री मिमी चक्रवर्तीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पेटीएम और अन्य कंपनियों को देश में ई-लेनदेन करने और ई-कॉमर्स भुगतान प्रणाली की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान ई-व्यापार एजेंसियों और वित्तीय कॉर्पोरेट घरानों को भारी नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लेन-देन प्रक्रिया की प्रणाली और डिजिटल भुगतान प्रणाली पर कोई नियंत्रण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पुष्टि की है कि लेन-देन की प्रक्रिया के दौरान ई-मुद्रा के गबन की कोई संभावना नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएसएस अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार, सभी संस्थाओं को देश में कोई भी भुगतान प्रणाली परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। आरबीआई ने पेटीएम भुगतान बैंक लिमिटेड को प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआईएस) जारी तथा परिचालित करने तथा अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने सूचित किया है कि यह ई-व्यापार एजेंसियों तथा वित्तीय कारपोरेट घरानों को हुई हानि इत्यादि के आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) से (ड.): डिजिटल भुगतान प्रणाली के बचाव तथा सुरक्षा को बेहतर बनाया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। आरबीआई ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा, अन्य बातों के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/डिजिटल भुगतान लेन-देन को सुरक्षित करने हेतु सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरण उपायों से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए हैं:

- आरबीआई ने "इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन-देन हेतु सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरण उपाय" पर दिनांक 28.2.2013 के परिपत्र के माध्यम से आरबीआई ने बैंकों को आरटीजीएस, एनईएफटी तथा आईएमपीएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड को सुरक्षित करने हेतु अतिरिक्त उपायों को शुरू करने का निदेश दिया है।
- दिनांक 29.12.2017 को अद्यतित, दिनांक 11.10.2017 के "पीपीआई के निर्गम एवं परिचालन पर मास्टर निदेश" के माध्यम से पीपीआई जारीकर्ताओं को जोखिम न्यूनीकरण

तथा धोखाधड़ी बचाव से संबंधित बचाव एवं सुरक्षा की चिंताओं के समाधान हेतु एक ढांचा स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।

- आरबीआई ने ग्राहक सुरक्षा के संबंध में अनेक अनुदेश जारी किए हैं। दिनांक 6.7.2017 के परिपत्र के माध्यम से आरबीआई ने अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की जवाबदेही को सीमित करने के निदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार, दिनांक 4.1.2019 के परिपत्र के माध्यम से आरबीआई ने अधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी पीपीआई में अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन-देन में ग्राहकों की जवाबदेही को सीमित करने के निदेश जारी किए हैं। परिवर्तनकाल के सामंजस्य (टीएटी) तथा अधिकृत भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए असफल लेन-देन हेतु ग्राहकों को मुआवजा संबंधी दिनांक 20.9.2019 के परिपत्र के माध्यम से असक्षम लेन-देन तथा भुगतान हेतु टीएटी ढांचे को विनिर्धारित किया गया है तथा विनिर्धारित टीएटी असफल लेन-देन के समाधान हेतु बाहरी सीमा है।
- भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने वाले गैर-बैंक संस्थाओं हेतु यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिकृत भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु प्रयुक्त तकनीक, सुरक्षित, विश्वसनीय, उपयुक्त तथा दक्षतापूर्वक परिचालित की जा रही है, आरबीआई ने दिनांक 7.12.2019 तथा 27.12.2010 (दिनांक 15.4.2011 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित) के परिपत्रों के माध्यम से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण तथा नियंत्रण संघ (आईएसएसीए) के साथ पंजीकृत प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक (सीआईएसए) अथवा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा (डीआईएसए) में डिप्लोमाधारक द्वारा वार्षिक आधार पर प्रणाली लेखापरीक्षण को अधिदेशित किया है।
- कार्ड लेन-देनों को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई के दिनांक 29.3.2011 के परिपत्र द्वारा बैंकों को सभी कार्ड लेन-देनों (कार्ड प्रजेंट (सीपी) और कार्ड नॉट प्रजेंट (सीएनपी)) के लिए ऑनलाइन अलर्ट (चेतावनी) देने की सलाह दी गयी है। दिनांक 22.9.2011, 28.2.2013 और 24.6.2013 के परिपत्र द्वारा बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों (ऑनलाइन और ई-बैंकिंग) के लिए अतिरिक्ति सुरक्षोपाय आरंभ करने की सलाह दी गयी है।
- सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों (डब्ल्यूएलएओ) को दिनांक 26.5.2016 के परिपत्र द्वारा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि उनके द्वारा स्थापित/परिचालित सभी मौजूदा एटीएम ईएमवी चिप और पिन कार्ड समर्थित हों।
- बैंकों को दिनांक 1.5.2013 की प्रभावी तिथि से सभी सीएनपी लेन-देनों के लिए अभिप्रमाणन का अतिरिक्त चरण (एएफए) अनिवार्यत: लागू करने का निदेश दिया गया है, जिसे लागू नहीं करने पर जारीकर्ता बैंक को बिना किसी आपत्ति के ग्राहक को हानि की प्रतिपूर्ति करनी होगी।
- सभी अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क को दिनांक 8.1.2019 के परिपत्र द्वारा एएफए/पिन प्रविष्टि संबंधी अधिदेश सहित कार्ड लेन-देनों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर मौजूदा सभी अनुदेशों के अध्यधीन किसी टोकन अनुरोधकर्ता (अर्थात् थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता) को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गयी है।

*****